न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 699–पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 7–12–2012 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर, प्रकरण कमांक 88/2011–12/अपील.

1– रघुवीर सिंह पुत्र श्री झन्नूसिंह पिड़ारा (राजपूत)
निवासी ग्राम खिरिया(भरसूला), तहसील राघौगढ़,
जिला गुना ,
2– रामसिंह पुत्र झन्नू सिंह (मृत) द्वारा वारिसान–
(अ) नरेन्द्र सिंह पुत्र रामसिंह, जाति पिड़ारा (राजपूत)
(ब) तेजसिंह पुत्र रामसिंह, जाति पिड़ारा (राजपूत)
(स) दिलीपसिंह पुत्र रामसिंह, जाति पिड़ारा (राजपूत)
(द) सुरेन्द्र सिंह पुत्र रामसिंह, जाति पिड़ारा (राजपूत)
सभी निवासीगण पचकुइयां रोड राघौगढ़, जिला गुना
3– प्रेमबाई पुत्री झन्नूसिंह, जाति पिड़ारा (राजपूत)
4– नारायणी बाई पुत्री झन्नूसिंह, जाति पिड़ारा (राजपूत)
निवासीगण ग्राम खिरिया(भरसूला), तहसील राघौगढ़,
जिला गुना ,

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1– म0प्र0 राज्य शासन द्वारा पटवारी हल्का नं. 08,
तहसील राधौगढ, जिला गुना, म0प्र0
2– मोहनबाई पत्नि श्री प्रेमसिंह जाति राजपूत,
3– नीलम सिंह पुत्र श्री प्रेमसिंह जाति राजपूत,
4– अर्जुन सिंह पुत्र श्री प्रेमसिंह जाति राजपूत,
5– उर्मिलाबाई पुत्री श्री प्रेमसिंह जाति राजपूत,
6– संतोषबाई पुत्री श्री प्रेमसिंह, जाति राजपूत,
7– गणेशबाई पुत्री श्री प्रेमसिंह, जाति राजपूत,
8– सरिताबाई पुत्री श्री प्रेमसिंह, जाति राजपूत
सभी निवासीगण ग्राम खिरिया(भरसूला), तहसील राघौगढ़,
जिला गुना ,

..... अनावेदकगण

.....

श्री चन्द्रशेखर एवं श्री कुवरसिंह कुशवाह, अभिभाषकगण, आवेदकगण
श्री अनिल कुमा श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक कं0 1
श्री मुकेश बेलापुरकर, अभिभाषक, अनावेदक कं0 3

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/6/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–12–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक कमांक 1 द्वारा तहसीलदार राघौगढ़ जिला गुना के समक्ष संहिता की धारा 178 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उभय पक्ष के संयुक्त स्वामित्व की ग्राम खिरिया (भरसूला) स्थित भूमि सर्वे कमांक 31 रकबा 1.317 हैक्टेयर, ग्राम बहादुरगढ़ स्थित भूमि सर्वे कमांक 2/78/5 रकबा 1.045 हैक्टेयर, 3 रकबा 0.763,4रकबा 0.136, 5 रकबा 0.157 हैक्टेयर एवं 16 रकबा 0. 251 हैक्टेयर स्थित है । उपरोक्त संयुक्त खाते की भूमि में आवेदक कमाक 1 का 1/6 हिस्सा है, अतः उपरोक्त भूमियों का बटवारा किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 108/अ–27/2007–08 दर्ज कर दिनांक 18.6.2009 को बटवारा आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अवधि बाह्य अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 25–6–2011 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 7–12–2012 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के आदेश निरस्त किये गये एवं उभय पक्ष को निर्देश दिये गये कि यदि वे प्रश्नाधीन भूमि का बटवारा कराना चाहते हैं, तो पृथक से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील अवधि बाह्य प्रस्तुत हुई थी, और उनके द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर, अपील समय सीमा में मान्य कर

गुणदोष पर निराकरण किया गया है, जो कि वैधानिक कार्यवाही है । यह भी कहा गया कि मानसिंह पुत्र झुन्नु सिंह आवश्यक पक्षकार था, परंतु अनावेदक द्वारा उसे पक्षकार नहीं बनाया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि सहमति के आधार पर पारित आदेश के विरूद्ध अपील नहीं हो सकती है । इस आधार पर कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सकारण आदेश पारित किया गया था, जिस पर अपर आयुक्त द्वारा विचार नहीं कर निगरानी स्वीकार करने में अवैधानिकता की गई है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 3 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि पक्षकार के असंयोजन का बिन्दु अधीनस्थ न्यायालयों में नहीं उठाया गया है, इसलिये इस न्यायालय में नहीं उठाया जा सकता है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार के समक्ष सभी हितबद्ध व्यक्तियों को पक्षकार नहीं बनाया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा बटवारा नियमों का बिना पालन किये आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त का विधिसंगत एवं बोलता हुआ आदेश है, जिसमें हस्तक्षेप का आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपर आयुक्त के आदेश को विधिसंगत बतलाया गया ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 25–2–2011 को न्यायहित में अंतरिम आदेश पारित कर विलम्ब क्षमा किया गया है । अपर आयुक्त का इस बिन्दु पर निष्कर्ष तथ्यों से परे हैं । जहॉ तक अन्य बिन्दुओं का प्रश्न है – यदि अपर आयुक्त का यह निष्कर्ष था कि बटवारा बिना सभी पक्षों को सुने सही नहीं हुआ है तो उन्हें स्वयं साक्ष्य लेकर बटवारा करना था । दुबारा बटवारा आवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश देना प्रकरण को प्रत्यावर्तित करने के समान है, जबकि वर्तमान में प्रत्यावर्तन के अधिकार अपील में अपर आयुक्त को प्राप्त नहीं है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–12–2012 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अपर आयुक्त को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे आवश्यक साक्ष्य लेकर अपने स्तर पर बटवारा आदेश पारित करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर.